## न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
## (पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 16.06.2017

अपील संख्या 2017/00145

उनवान

1– गिरधारीलाल आ0 प्रभूलाल, जाति धाकड, निवासी चछलाई
2– नन्दराम आ0 किशनलाल, जाति धाकड, निवासी चछलाई
तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राजस्थान) .... अपीलांट

बनाम

1– पूरी लाल उम्र 65 वर्ष आ0 कंवर लाल, जाति धाकड
2– बालाराम उम्र 50 वर्ष आ0 कंवरलाल, जाति धाकड
निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राज.)
3– भगवान सिंह आ0 प्रभूलाल, जाति धाकड
4– प्रेमबाई पुत्री प्रभूलाल, जाति धाकड
5– सोहनबाई पुत्री प्रभूलाल, जाति धाकड
6– कंकूबाई पुत्री प्रभूलाल, जाति धाकड
7– जसोदाबाई पुत्री प्रभूलाल, जाति धाकड
8– नन्दूबाई पुत्री पूरीलाल, जाति धाकड
8/1– रामसिंह पुत्र नन्दूबाई जाति धाकड
8/2– मोहरबाई पुत्री नन्दूबाई पत्नी प्रकाशचन्द, जाति धाकड, निवासी कुटकिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)
8/3– लीलाबाई पुत्री नन्दूबाई पत्नि मनोहरलाल, जाति धाकड, निवासी संधारा, तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर (मध्यप्रदेश)
9– धापूबाई पुत्री पूरीलाल, जाति धाकड
10– रूकमणीबाई पुत्री पूरीलाल, जाति धाकड
11– नवरंगबाई पुत्री पूरीलाल, जाति धाकड
12– कारीबाई पुत्री पूरीलाल, जाति धाकड
13– राधाबाई पुत्री पूरीलाल, जाति धाकड
14– जस्सूबाई पुत्री पूरीलाल, जाति धाकड
15– कालीबाई पुत्री पूरीलाल, जाति धाकड
16– गोपाल आ0 किशनलाल, जाति धाकड
17– राजूलाल आ0 किशनलाल, जाति धाकड
18– सम्पतबाई पुत्री किशनलाल, जाति धाकड
19– गुड्डीबाई पुत्री किशनलाल, जाति धाकड
20– अशोकबाई पुत्री किशनलाल, जाति धाकड
21– गंगाबाई बेवा किशनलाल, जाति धाकड (मृतक)
22– अमरसिंह आ0 प्रभूलाल, जाति धाकड
23– भैरूलाल आ0 प्रभूलाल, जाति धाकड
24– अम्बाराम आ0 किशनलाल, जाति धाकड, निवासीयान चछलाई, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राज.)
25– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, पिडावा
26– नायब तहसीलदार तहसील सुनेल, जिला झालावाड .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अशोक कुमार चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री औकारेश्वर शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 07.06.2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या 6/2016 निर्णय दिनांक 23.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया और यह कथन किया कि वाके ग्राम घाटाखेड़ी पटवार हल्का चछलाई, तहसील पिडावा में वर्तमान खाता संख्या 3 की खसरा नं. 68 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 69 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 70 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने अपने निर्णय दिनांक 23.05.2016 से विवादित आराजी खसरा नं. 68, 69, 70 कुल रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम घाटाखेड़ी को ताफैसला वाद रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय आलोच्य आदेश दिनांक 23.05.2016 विधि एवं पत्रावली सार संग्रह के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नं. 3 लगायत 24 को सुनवाई का अवसर दिये बगैर उनकी अदम मौजूदगी में पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नं. 3 लगायत 24 विवादग्रस्त आराजीयात के पिछले 70 वर्षों से रिकार्डेड खातेदार टीनेन्ट है और उक्त आराजी पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार टीनेन्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की है जो विधि विरूद्ध है, रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा कानूनन पारित नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील में किसी भी पक्षकार की उपस्थिति दर्ज किये बगैर उनकी गैर मौजूदगी में आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के विधि सम्मत आवश्यक तथ्यों प्राइमाफेसाई केस, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति का विवेचन किये बगैर विधि विरूद्ध तरीके से आदेश जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने में विधि एवं प्रकिया संबंधी अन्य और भी कई त्रुटियां की है जिस कारण आदेश जैर अपील निरस्त होने लायक है। रेस्पोडेंट नं. 3 लगायत 24 द्वारा अपीलांट्स के साथ अपील में सहयोग नहीं करने के कारण उन्हें रेस्पोडेंट नं. 3 लगायत 24 बनाया जाकर अपील पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा का आदेश दिनांक 23.05.2016 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.06.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करते समय अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नं. 3 लगायत 24 को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया है। वादी रिकॉर्डेड खातेदार है इसलिए रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह उचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि प्रकरण दिनांक 03.02.2016 को दर्ज हुआ। दिनांक 24.02.2016 अप्रार्थी का वकालतनामा व शेष की ओर से अन्डर टेकिंग (यू.टी.) पेश की। पत्रावली दिनांक 23.05.2016 को वास्ते जवाब एवं शेष प्रतिवादीगण के वकालतनामे हेतु नियत थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में निर्णय करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया। उक्त प्रकरण में प्रकट होता है कि अप्रार्थीगण को वकालतनामा, जवाब एवं बहस का अवसर नहीं दिया गया। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर आवश्यक रूप से विचार करना होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन बिन्दुओं पर विचार किये बिना रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा बिना अप्रार्थीगण को सुने जारी कर दी जो विधिक रूप से अत्यन्त त्रुटिपूर्ण होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2016 निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को हिदायत दी जाती है कि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर आवश्यक रूप से निर्णय किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/06/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा